महोबा पुलिस

दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 944/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 28.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ



महोबा पुलिस

दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 944/26

मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महोबा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकार एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान-6.0 के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीमों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मंदिरों, बाजारों, स्कूल-कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।

अभियान के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों तथा महिला एवं बाल अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही, महिला हेल्पलाइन 181, महिला शक्ति लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन सेवा 112 एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सहित विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जानकारी देकर आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं को UPCOP ऐप के माध्यम से उपलब्ध पुलिस सेवाओं की जानकारी देने के साथ-साथ साइबर अपराधों, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ओटीपी, बैंकिंग विवरण एवं पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करने की सलाह भी दी गई।

अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कानूनों, जैसे पॉक्सो अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जागरूक किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न अथवा अपराध की स्थिति में उचित सहायता प्राप्त कर सकें।

मिशन शक्ति अभियान-6.0 का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा का विश्वास सुदृढ़ करना, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना तथा महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस एवं आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। महोबा पुलिस द्वारा अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

महोबा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध अथवा असुरक्षा की स्थिति में बिना किसी संकोच के पुलिस से संपर्क करें तथा संबंधित हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें। पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

महोबा पुलिस का संकल्प — नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन।

सशक्त नारी, सुरक्षित समाज!





दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 943/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांश टीम की संयुक्त कार्यवाही में 10 किलो 525 ग्राम अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी तथा संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में थाना खन्ना पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों को कुल 10 किलो 525 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27.10.2026 को थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराही कांस्टेबल अनिल कुमार भारती एवं एसओजी टीम द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान कानपुर-सागर हाईवे से ग्राम चिचारा को जाने वाले टावर वाले पक्के रास्ते पर, ग्राम चिचारा थाना खन्ना जनपद महोबा से अभियुक्त 1. संदीप अहिरवार उर्फ भूरा पुत्र मदनपाल अहिरवार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रुरीकला थाना महोबकंठ जनपद महोबा तथा 2. मान सिंह अहिरवार पुत्र मुन्नालाल अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम भूरा टोडर थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त संदीप अहिरवार उर्फ भूरा के कब्जे से 5.490 किलोग्राम तथा अभियुक्त मान सिंह अहिरवार के कब्जे से एक झोले में 5.035 किलोग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया। इस प्रकार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 10 किलो 525 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 111/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संदीप अहिरवार उर्फ भूरा पुत्र मदनपाल अहिरवार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम रुरीकला थाना महोबकंठ जनपद महोबा।
2. मान सिंह अहिरवार पुत्र मुन्नालाल अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम भूरा टोडर थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त संदीप अहिरवार उर्फ भूरा का आपराधिक इतिहास:

1. थाना अजनर पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट।
2. थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट।
3. थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 46/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट।



अभियुक्त मान सिंह अहिरवार का आपराधिक इतिहास:

1.थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 94/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट
2.थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 93/2023 धारा 399/401 भादवि
3.थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 35/2023 धारा 379/411/419/420 भादवि
4.थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 30/2023 धारा 379/411 भादवि
5.थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 34/2023 धारा 379/411 भादवि
6.थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 27/2023 धारा 379/411 भादवि
7.थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 457/380/411 भादवि
8.थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 102/2023 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा 2.का0 अनिल कुमार भारती

जनपदीय एसओजी एवं सर्विलांस टीम-

1. कां. दीपक वर्मा 2. कां. रंजीत सिंह 3. कां. निर्भय सिंह 4. कां. आशीष बघेल
5. कां.सत्यम सिंह जादौन 6. कां. कुलदीय यादव 7. कां. नीलेश 8. कां. अभिषेक दुबे

दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 945/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 शैलेश कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 28.10.2026 को मु0नं0 601403/2013 धारा 3/10/11 यू0पी0 गुण्डा एक्ट से सम्बन्धित वारंटी भूरा उर्फ राजकुमार पुत्र रामरतन उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को के ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त भूरा उर्फ राजकुमार उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

1. भूरा उर्फ राजकुमार पुत्र रामरतन उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शैलेश कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. हे0का0 बृजेश सिंह तोमर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा



दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 946/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम द्वारा वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन मे गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिनव सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित पीड़िता एवं मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 मूरतलाल पुत्र छुन्ना प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भरतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को कीरत सागर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को बरामद / गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त मूरतलाल उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. मूरतलाल पुत्र छुन्ना प्रसाद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भरतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अभिनव सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. का0 आमिर खान थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3. म0का0 खुशबू सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा



दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 947/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस द्वारा 284 मुकदमों से सम्बन्धित 4710 लीटर अवैध शराब का कराया गया विनष्टीकरण-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब विनष्टीकरण अभियान के क्रम में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद महोबा के आदेश दिनांक 27.10.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 28.10.2026 को थाना कोतवाली नगर महोबा पर वर्ष 2023 से 2025 तक के कुल 284 मुकदमों से सम्बन्धित 4710 लीटर बरामद अवैध शराब का नियमानुसार विनष्टीकरण किया गया।

उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा गठित टीम के सदस्य क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गौड़, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी महोबा श्री अशोक कुमार शुक्ला एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में थाना परिसर स्थित खाली भूमि पर गड्ढा खुदवाकर संपन्न की गई।

विनष्टीकृत अवैध शराब का विवरण निम्नवत है—

1.अंग्रेजी शराब — 22 लीटर

2.देशी शराब महुआ — 3,588 लीटर

3.देशी शराब ठेका — 1,100 लीटर

4.कुल मात्रा — 4,710 लीटर









दिनांक- 28.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 948/26

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस की "ऑपरेशन सेफ स्पीड" के तहत कार्यवाही, ओवरस्पीडिंग करने वाले 20 वाहनों के चालान..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.10.2026 को क्षेत्राधिकारी यातायात श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण एवं यातायात निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस जनपद महोबा द्वारा इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 'ऑपरेशन सेफ स्पीड' के अंतर्गत विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 20 वाहनों के चालान किए गए।

इस दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित गति सीमा के अनुरूप वाहन चलाने तथा तेज गति से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। वाहन चालकों को समझाया गया कि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है तथा यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

महोबा पुलिस द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें, यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनें तथा सुरक्षित गति से वाहन चलाएं। तेज गति न केवल वाहन चालक, बल्कि अन्य राहगीरों एवं यात्रियों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है।

महोबा पुलिस का उद्देश्य केवल यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि जनजागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर प्रत्येक नागरिक की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।



